हाईकोर्ट ने माना, मंत्री शाह का कृत्य आजीवन सजा और अर्थ दंड वाला

जो मंच पर बैठे थे, तालिया बजा रहे थे उन्हें भी आरोपी बनाने की मांग

इंदौर (राजेन्द्र के.गुप्ता /सात्विक गुप्ता)। मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह ने दिनांक 13/05/2025 को महू में आयोजित एक आयोजन में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर गंभीर आपत्तिजन बाते कही है, जिससे संबंधित समाचार दिनांक 14/05/2025 को सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुए। हाईकोर्ट जबलपुर ने दिनांक 14/05/2025 को स्वत- संज्ञान में डब्ल्यू पी क्रमांक 17913/2025 दर्ज करके हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ल ने दिनांक 14/05/2025 को ही डीजीपी को आदेश जारी करके मंत्री विजय शाह पर बीएनएस की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और शाम तक बताने का आदेश दिया अन्यथा दिनांक 15/05/2025 को डीजीपी पर अवमानना का केस चलाया जाएगा। अब दिनांक 15/05/2025 को फिर सुनवाई होगी। मंत्री शाह के गंभीर आपत्तिजनक भाषण के समय जो व्यक्ति, नेता मंच पर बैठे थे ।

और मंत्री शाह की गंभीर आपत्तिजनक बातों पर तालिया बजा रहे थे उन्हें और आयोजकों को भी सह आरोपी बनाने की मांग उठी है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा

हाईकोर्ट की डीबी बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि मंत्री शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कही गई बाते अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है ऐसे किसी कार्य को आजीवन कारावास या सात वर्ष तक के कारावास की सजा से दंडनीय बनाता है। मंत्री शाह ने अपने बयान में कर्नल सोफिया कुरैशी को उस आतंकवादी की बहन बोला जिस आतंकवादी ने पहलगाम में हमला किया, जो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति में अलगाववादी गतिविधियों की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को खतरा होता है इसलिए हाईकोर्ट ने धारा 152 के तहत भी मंत्री शाह पर अपराध दर्ज करने का आदेश डीजीपी को दिया।

जाती धर्म, जन्म, भाषा आदि पर टिपण्णी करके दुर्भावना, घृणा, वैमनस्य, शत्रुता को बढ़ावा देने के कारण धारा 196 में भी मंत्री पर अपराध दर्ज करने का आदेश दिया, पूजा, धार्मिक की भावनाओं को आहत करने के कारण इसी धारा में (1)(बी) के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है । राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने के कारण धारा 197 और (क) में ऐसा कोई लांछन लगाने जो किसी वर्ग किसी धार्मिक मूलवंशीय, समुदायी आदि का गलत आरोप लगाने के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मंत्री शाह के द्वारा बोली गई बातों को मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों जो उस धर्म से संबंधित नहीं है के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फैलाने का कृत्य माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति तत्काल पुलिस महानिदेशक को प्रेषित करने का आदेश एजी को दिया।

विजय शाह के भाषण के वीडियो एकत्रित करने का आदेश भी

हाईकोर्ट की डीबी बेंच ने रजिस्ट्रार को आदेश जारी करके मंत्री विजय शाह के द्वारा दिए गए अपमानजनक भाषण के वीडियो और लिंक एकत्रित करने का निर्देश भी दिया है।

शाह की कुर्सी खतरे में: एफआईआर दर्ज

दिल्ली के फरमान के बाद इस्तीफे की तैयारी

सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी से लोगों में जमकर आक्रोश उभरकर सामने आ रहा है। इसको लेकर रीगल तिराहे पर कांग्रेसियों ने विजय शाह का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन दिया।

इंदौर (नगर संवाददाता)। सैन्य अधिकारी सौफिया कुरैशी को लेकर की गई टिप्पणी पर मंत्री विजय शाह घिर गए हैं और उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है, देर रात उनके खिलाफ मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस तरीके से विरोध का बिगुल बज रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। मंत्री विजय शाह ने भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान मैदान में उतरने वाली सौफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर हल्ला मच गया है। देशभर में हर तरफ से विजय शाह की घेराबंदी होने लगी है। मामला दिल्ली तक पहुंचा तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी शाह को फटकार लगाई थी और कहा था कि माफी मांगना चाहिए। इसी कारण उन्होंने कहा था कि मैं दस बार माफी मांगता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है, उससे तो पूरी कहानी गड़बड़ हो गई है और उनकी कुर्सी पर भी खतरे के बादल दिखने लगे हैं। ये पहला मौका नहीं है, जब विजय शाह ने कोई बात कही है। इसके पहले भी उन्हें दिक्कतें आई थी और समझाइश दी गई थी। विजय शाह आरक्षित सीट हरसूद से विधायक हैं और वो लगातार आठ बार चुनाव जीते हैं। आदिवासी कोटे के कारण उन पर जब भी कोई बात आती है तो बचा ली जाती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से माहौल बनता दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि शाह की परेशानी बढ़ सकती है। केन्द्रीय नेतृत्व भी नाराज है, क्योंकि शाह ने अपने बयान में ये बात कही थी कि मोदी ने सौफिया कुरैशी को जिम्मेदारी दे दी है। मोदी का नाम लेने के कारण केंद्रीय नेतृत्व भी जबरदस्त नाराज दिख रहा है। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट दिल्ली बुलवा ली है और कहा है कि जल्द ही इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। इस बार शाह की कुर्सी बचना मुश्किल दिख रही है। कुर्सी तो ठीक है, उनका टिकट भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जो टिप्पणी की गई है, उससे माहौल बदल गया है और सरकार की किरकिरी हो रही है।

मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज....

महू (इंदौर समाचार)। मानपुर थाने मे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह इन दिनों अपनी एक विवादित टिप्पणी को लेकर कानूनी और सियासी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। सेना की पहली महिला कर्नल पदाधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अब मंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। यह मामला अब महज बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इसे गंभीरता से लिया गया। कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार रात 9:15 बजे इंदौर जिले के महू मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है।FIR BNS धारा 152, 196, (1)(b), 197(1)(C) दर्ज होने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने मंत्री से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और महिला अधिकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि भारतीय सेना में महत्वपूर्ण पद पर रह चुकी हैं, उनके प्रति की गई टिप्पणी को न केवल असंवेदनशील बताया जा रहा है बल्कि इसे देश की सैन्य प्रतिष्ठा और महिला सम्मान के खिलाफ भी माना जा रहा है।अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या रुख अपनाते हैं और मंत्री विजय शाह के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है।

स्वास्तिक गर्ल्स हॉस्टल में साईबर सुरक्षा पाठशाला

इंदौर (नगर संवाददाता)। पुलिस उपायुक्त नगरीय जोन-4 डॉ ऋषिकेश मीना के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध राजेश दण्डोतिया सहित थाना प्रभारी भंवरकुआ ,महिला थाना प्रभारी श्रद्धा यादव ने इन्दौर के सबसे बडे शैक्षणिक क्षेत्र में संचालित स्वास्तिक गर्ल्स हॉस्टल में साईबर सुरक्षा की पाठशाला आयोजित की।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज के युग के सबसे घातक अपराधों में से एक साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमैलिंग करने के बचाव ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए छात्रों को सतर्क रहने की संबंध में सावधानिया बताई है, साईबर अपराध रोकने तथा पूर्ण इस पर पूर्णरूप से अंकुश लगाने के क्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों ने अपने अनुभव सांझा किये है, तथा पाठशाला में छात्राओं के प्रश्नो के उत्तर दिए तथा साईबर अपराधो से सुरक्षित व सतर्क रहने के उपाय सुझाए संस्थान की लगभग 40-50 छात्राएं उपस्थिति रही । पाठशाला में उपस्थित छात्राओं के व्दारा इस बहुउपयोगी वह सारगर्भित बताया और साईबर फ्रॉड व ब्लैकमैलिंग से बचने की शपथ भी ली गई छात्राओं को पम्पलेट भी बांटे गए।

शिक्षक समस्या निवारण शिविर 19 से

इन्दौर । लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा विभाग को जारी निर्देश के बाद आगामी 19 मई से शिक्षक समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाने का निर्णय लिया गया है। इस शिविर में शिक्षकों के लंबित प्रकरण, समयमान, वेतनमान, वेतनवृद्धि सेवा, अभिलेख, आगामी 3 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य जरूरी दस्तावेज, पेंशनर्स समस्या निवारण आदि का निराकरण जिला एवं संभागस्तर पर किया जाएगा । ज्ञात हो कि शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों को किसी तरह की समस्याओं के साथ विभागीय और अन्य गतिविधियों का दबाव ना रहे इसके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 19 से 30 मई तक जिला एवं संभागस्तर पर शिक्षक समस्या निदान शिविर आयोजन किये जाने के निर्देश संचालनालय द्वारा जारी किए गए हैं। जिसमें शिक्षकों की समस्याओं का ब्लॉक, जिला व संभागस्तर पर निराकरण किया जाएगा।

निवेश के नाम पर 83 लाख की ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

इंदौर (नगर संवाददाता)। पुलिस ने निवेश के नाम पर लाखों रुपए के ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।विभाग से मिली जानकारी के अनुसार क्राईम ब्रांच पुलिस के द्वारा आर्थिक अपराध के विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों की धरपकड़ कार्यवाही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार की जा रही है,क्राइम ब्रांच में इंदौर निवासी फरियादी रोहन के द्वारा शिकायत की गई थी कि आरोपी मोहित महाजन एवं निसार अली के द्वारा फरियादी से म्यूजिक इवेंट्स, टाइल्सङ्कमार्बल एंव स्नस्ब्ष्ह्ल उत्पादो मे होलसेल के व्यापार मे रुपये इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर अधिक लाभ देने का बोलकर दिनांक 25/08/2023 से 19/03/2024 तक 01 करोड़ 17 लाख 85 हजार 500 रुपए इन्वेस्टमेंट के रूप में में प्राप्त किए और फरियादी को समय-समय पर झूठे विश्वास में लेने के लिए प्रॉफिट के रूप में अमाउंट फरियादी को दिया गया परन्तु फरियादी की शेष राशि लगभग 83 लाख रुपए आरोपियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। जिसपर क्राइम ब्रांच के द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91/25 धारा 406,420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर मोहित महाजन उम्र 38 वर्ष निवासी टेलीफोन नगर कनाडिया रोड इंदौर, निसार अली उम्र 39 वर्ष निवासी लाबरिया भेरू इंदौर को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त करने सहित अग्रिम पूछताछ एवं कार्यवाही की जा रही है।

सैनिकों के सम्मान में महामृत्युंजय जाप तथा 108 दीपों से भारत माता की आरती आज

इन्दौर । वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सिसोदिया की अध्यक्षता तथा रैनेसा लॉ कॉलेज के संचालक स्वप्निल कोठारी के मुख्य आतिथ्य में इन्दौर जिला न्यायालय स्थित सभागार में आज 15 मई को अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ एवं इंदौर अभिभाषक संघ के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम भारत माता की वंदना का आयोजन रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और पाकिस्तान पर भारत के निर्णायक प्रहार की गौरवगाथा को समर्पित इस आयोजन में अधिवक्ता देश के वीर सैनिकों के सम्मान में महामृत्युंजय जाप और 108 दीपों से भारत माता की आरती करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रख्यात चित्रकार, लेखक, गायक, कवि एवं राष्ट्र भक्त वक्ता सत्यनारायण मौर्य होंगे।